कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सूरजपुर (छ.ग.)

–:: आदेश ::–

क्रमांक / 3382 / एस.डब्ल्यू. शाखा / 2020 सूरजपुर, दिनांक 01 अक्टूबर 2020

जिले में कोरोना वायरस (COVID-19) से बचाव एवं रोकथाम हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3286 / एस.डब्ल्यू. शाखा / 2020, दिनांक 20.09.2020 के माध्यम से सम्पूर्ण सूरजपुर जिले को दिनांक 22.09.2020 रात्रि 09.00 बजे से 01.10.2020 को रात्रि 09.00 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित करते हुये आम जनता के आवागमन एवं कार्यालय / व्यवसाय संचालन पर प्रतिबंध अधिरोपित किये गये थे। सूरजपुर जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के पश्चात् परिणाम के अवलोकन से यह पाया गया है कि कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से बचाव / रोकथाम एवं संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं समय–समय पर हाथ धोना / सेनिटाईज करना कारगर है।

अतएव आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 40 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, रणबीर शर्मा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला–सूरजपुर कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3286 / एस.डब्ल्यू. शाखा / 2020, दिनांक 20.09.2020 को अधिक्रमित करते हुए निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ :–

1. दिनांक 02.10.2020 से समस्त कार्यालय शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में संचालित होंगे।
2. व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन पर सामान्यतः कोई प्रतिबंध नहीं होगा, किन्तु कोई भी दुकान / व्यवसायिक संस्थान रात्रि 07.00 बजे के बाद संचालित नहीं होंगे। इस निर्देश का उल्लंघन करते पाये जाने पर सम्बन्धित दुकान / व्यवसायिक संस्थान को आगामी 15 दिवस के लिए सील करते हुए रूपये 1000 / – जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा। पेट्रोल पंप एवं मेडिकल दुकानें, उनके निर्धारित समय में ही खुलेंगे।
3. यदि कोई नागरिक दो पहिया वाहन पर भी बिना मास्क के पाया जाता है तो वाहन 15 दिवस के लिए जप्त करते हुए रू. 500 / – जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा।
4. रेस्टोरेंट / होटल संचालन एवं टेक–अवे / होम डिलिवरी की अनुमति रात्रि 7.00 बजे तक ही होगी। उक्त निर्देश का उल्लंघन करते पाये जाने पर सम्बन्धित रेस्टोरेंट / होटल को 15 दिवस के लिए सील करते हुए रू. 1000 / – जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा।
5. किसी मरीज द्वारा होम क्वारेन्टाईन के दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हुए घर से बाहर घुमते पाये जाने पर सम्बन्धित वाहन को आगामी 15 दिवस के लिए जप्त करते हुए रू. 2000 / – जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा।
6. सभी कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय परिसर में फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग एवं समय–समय पर हाथ धोने / सेनिटाईज करने हेतु आवश्यक व्यवस्था अनिवार्यतः सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कार्यालय में इस निर्देश की अवहेलना पाई जाती है तो संबंधित कार्यालय प्रमुख को इसके लिए उत्तरदायी माना जावेगा तथा फ्लाईंग स्क्वाड तथा संबंधित इंसीडेंट कमांडर / उनके अधिकृत अधिकारी अर्थदण्ड अधिरोपित कर सकेंगे। अर्थदण्ड की कटौती वेतन से भी की जा सकेगी।
7. छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना अनुसार कोविड–19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन नहीं किये जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अधीन निर्मित विनियम के तहत् निम्नानुसार जुर्माना अधिरोपित करने हेतु पुलिस सहायक उप निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार से अनिम्न अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को आदेशित किया जाता है।

1.	सार्वजनिक स्थलों में मास्क/फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में	रूपये 200/–
2.	होम क्वारेन्टाईन के दिशा–निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में	रूपये 2000/–
3.	सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुये पाये जाने की स्थिति में	रूपये 200/–
4.	दुकानों/व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में	रूपये 1000/–

उपरोक्तानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने हेतु समस्त इंसीडेंट कमांडर, नायब तहसीलदार की श्रेणी अनिम्न समस्त राजस्व अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी/उनके द्वारा नामित सहायक राजस्व निरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न अधिकारी, सहायक उपनिरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न समस्त पुलिस अधिकारी को प्राधिकृत किया जाता है।

यदि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जुर्माना देने से इंकार किया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध ऐपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 सहपठित छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीजेज कोविड–19 रेगुलेशन 2020 के रेगुलेशन 14 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 के अधीन सम्बन्धित पुलिस थाना में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जावे।

यह आदेश दिनांक 02.10.2020 से प्रभावशील होगा।

(रणबीर शर्मा)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/3382/एस.डब्ल्यू. शाखा/2020 सूरजपुर, दिनांक 01 अक्टूबर 2020

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटलनगर, नवा रायपुर अटलनगर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटलनगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटलनगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज, अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर को प्रेषित।
8. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, सूरजपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
9. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सूरजपुर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–सूरजपुर को सूचनार्थ।
11. सर्व तहसीलदार/नायब तहसीलदार, सूरजपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सूरजपुर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत, सूरजपुर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14. सहायक संचालक, जनसंपर्क, सूरजपुर को सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु अग्रेषित।
15. सर्व कार्यालय प्रमुख .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–सूरजपुर (छ.ग.)